रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 10, 2014/फाल्गुन 19, 1935
No. 117] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 10, 2014/PHALGUNA 19, 1935

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2014

सा.का.नि. 166(अ).— चूंकि वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारुप वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का XXII) की धारा 14 की अपेक्षानुसार भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक 6 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 766(अ) के द्वारा प्रकाशित किए गए, जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई:

और चूंकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां दिनांक 6 दिसंबर, 2013 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थी;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में अनुबंधित समयावधि तीस दिनों के अंदर प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 के साथ पाठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में,-

(क) नियम 88 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात:-

"88. यात्री सेवा फीस- केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर विमान में सवार यात्रियों से लाइसेंसधारी हवाईअड्डे द्वारा एकत्रित की जाने वाली फीस को यात्री सेवा फीस कहा जाए।

लाइसेंसधारी हवाईअड्डे द्वारा एकत्रित फीस का उपयोग अवसंरचना तथा यात्रियों के फैसिलिटेशन के लिए किया जाएगा।

परंतु यह कि बड़े हवाईअड्डों के संबंध में फीस की दर का निर्धारण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27) की धारा 13 की उप धारा (1) के खण्ड (1) के तहत किया जाएगा।

(ख) नियम 88 के पश्चात, संशोधन किए अनुसार, निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित होंगे, अर्थात:-

" 88 क-विमानन सुरक्षा फीस- (1) केन्द्र सरकार या इसकी ओर से नामित कोई अन्य प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित पर विमान सुरक्षा फीस लगाया तथा एकत्रित किया जा सकता है:

(क) विमान पर सवार होने वाले यात्री;

(ख) एक हवाईअड्डे से बाहर वाहित किया गया कार्गो;

(ग) सामान्य विमानन के प्रस्थान करने वाले निजी विमान;

(घ) चार्टर्ड विमान प्रचालन; और

(ङ) कोई अन्य समर्पित नागर विमानन प्रचालन,

ऐसी दर अथवा दरों पर, जैसा कि केन्द्र सरकार समय-समय पर विर्निदिष्ट करे, तथा विनिर्दिष्ट की गई विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित विभिन्न दरों से विमानन सुरक्षा व्यय को पूरा किया जाए।

3. केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए तरीके के अनुसार विमानन सुरक्षा फीस विनियमन तथा उपयोग किया जाएगा।

4. इस नियम के प्रयोजनाथ-

(क) " नागर विमानन सुरक्षा " अभिव्यक्ति का तात्पर्य गैर कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन प्रचालनों का संरक्षण होगा;

(ख) "नागर विमानन सुरक्षा पर व्यय" से निम्नलिखित कोई व्यय अभिप्रेत है-

(i) " नागर विमानन सुरक्षा" उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नामित किसी भी सुरक्षा एजेंसी की तैनाती; और

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्णय लिए जाने वाले ऐसे अन्य व्यय।

[फा. सं. एवी.13024/47/2003-एसएस(एडी)]

जी. अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम सरकारी राजपत्र में 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना संख्या वी-26 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 27.12.2013 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 804(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2014

G.S.R. 166(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937 were published, as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (XXII of 1934), vide notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 766(E), dated the 6th December, 2013, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 6th December, 2013;

And whereas no objections and suggestions were received from the public on the said draft rules within the stipulated time period of thirty days;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4 read with section 5 of the said act, the Central Government hereby makes following rules, namely :-

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937,-

(a) For rule 88, the following shall be substituted, namely:-

"88. Passenger Service Fee – The airport licensee may collect fees to be called the Passenger Service Fee from the embarking passengers at such rate as the Central Government may specify.

The airport licencee shall utilise the fees so collected for the infrastructure and facilitation of the passengers:

Provided that the rate of fees in respect of major airports shall be as determined under clause (1) of sub-section (1) of section 13 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (27 of 2008)".

(b) After rule 88, as so amended, the following rule shall be inserted, namely:–

"88A. Aviation security fees - (1) The Central Government, or any other authority designated by it in its behalf, may levy and collect aviation security fees on:

(a) embarking passengers;
(b) cargo transported out of an airport;
(c) departing private aircrafts of general aviation;
(d) chartered aircraft operations; and
(e) any other dedicated civil aviation operations,

at such rate or rates, as the Central Government may specify from time to time, and different rates may be specified for different categories specified herein, to meet the expenditure on aviation security.

3. The aviation security fee shall be regulated and utilized in the manner as may be specified by the Central Government.

4. For the purposes of this rule -

(a) the expression "Civil Aviation Security" shall mean the protection of the civil aviation operations against the acts of unlawful interference;

(b) the expression "expenditure on aviation security" means any expenditure incurred on—

(i) deployment of any security agency designated by the Central Government for providing the 'Civil Aviation Security'; and

(ii) such other expenditure as may be decided by the Central Government from time to time."

[F. No. AV. 13024/47/2003-SS(AD)]

G. ASOK KUMAR, Jt. Secy.

Note:– The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and was last amended by notification number G.S.R. 804(E), dated 27.12.2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Co ntroller of Publications, Delhi-110054.